न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियां, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 52/11

मनी राम पुत्र श्री लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी गॉव बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्ण लाल
2. रामेश्वर लाल
3. मनफूलराम पिसरान श्री लिखमाराम
4. श्रीमती शान्ति पत्नी लिखमाराम
5. गुड्डी
6. सावित्री
7. मामकोरी
8. दुर्गादेवी
9. तुलसीदेवी पुत्रीयान श्री लिखमाराम
   अकवाम कुम्हार सकनाए गॉव बगीचा तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. तहसीलदार, भ0अ0 रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर प्रकरण सं0 2/08 कृष्ण लाल वगैरा बनाम सरकार निर्णय दिनांक 19–2–08 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित :
1. श्री भगतसिंह जाखड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता,रेस्पोडेन्टस
3. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से।

आदेश

दिनांक : 30–03–2017

हस्तगत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पिता लिखमाराम के नाम चक 46 एन.पी.के मु0 नं0 17 में 8–10 बीघा व चक 48 एन पी के मु0 नं0 39 के 4–17 बीघा इस प्रकार कुल 13 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि है। अपीलार्थी के पिता लिखमाराम की मृत्यू दिनांक 9–1–05 हो हो चुकी है। उपरोक्त 13–07 बीघा भूमि लिखमाराम को उसके पिता ख्यालीराम से प्राप्त हुई थी इसलिए भूमि जद्दी जायदाद है। रेस्पो0 सं0 1 से 3 का इस भूमि में जन्म से हक एवं अधिकार है। लिखमाराम की मृत्यू के बाद प्रत्येक वारिसान को 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

52/2011

A1/2

आधार पर उक्त 13–07 बीघा भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के पक्ष में कर दिया है जिससे अपीलार्थी प्रभावित है। अपीलकृत आदेश की सूचना पटवारी हल्का से सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 3.8.11 को हुई। तथाकथित वसीयत फर्जी है, जो नोटेरी से तस्दीक है। उक्त 13–07 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा की भूमि का कब्जा अपीलार्थी के पास है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलार्थी के पिता लिखमाराम के नाम चक 46 एन.पी.के मु0 नं0 17 में 8–10 बीघा व चक 48 एन पी के मु0 नं0 39 के 4–17 बीघा कुल 13 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि है। अपीलार्थी के पिता लिखमाराम की मृत्यू दिनांक 9–1–05 हो हो चुकी है। उपरोक्त 13–07 बीघा भूमि लिखमाराम को उसके पिता ख्यालीराम से प्राप्त हुई थी । पैतृक भूमि होने के कारण रेस्पो0 सं0 1 से 3 का इस भूमि में जन्म से हक एवं अधिकार है। लिखमाराम की मृत्यू के बाद प्रत्येक वारिसान को 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर उक्त 13–07 बीघा भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के पक्ष में कर दिया है जिससे अपीलार्थी प्रभावित है। अपीलकृत आदेश की सूचना पटवारी हल्का से सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 3.8.11 को हुई। तथाकथित वसीयत फर्जी है, जो नोटेरी से तस्दीक है। उक्त 13–07 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा की भूमि का कब्जा अपीलार्थी के पास है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही कर, वसीयत प्रकरण में सुनवाई करते हुए, आपति सूचना का प्रकाशन करवा कर, पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अपील अत्यधिक देरी से पेश की गई है। देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है। मियाद के बिन्दू पर अपील खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–1–08 को रेस्पो0 सं0 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का संधारण किया गया तथा 15 दिवस का आपति सार्वजनिक सूचना जारी की गई। कोई आपति प्राप्त न होने पर आपीलाधीन आदेश दिनांक 19–2–08 को पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट अंकित किया गया है कि पटवारी रिपोर्ट के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

52
2011

अनुसार भूमि वसीयतकर्ता लिखमाराम पुत्र ख्यालीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा भूमि के संबंध में कोई विवाद जेरकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता लिखमाराम का मृत्यू प्रमाण पत्र, जायज वारिस प्रमाण पत्र रेकार्ड पर लिया गया है। जहॉ तक प्रश्नगत अपील के फर्जी होने का प्रश्न है, जैसा अपीलांट ने अपील मीमो के पैरा सं0 5 में कथन किया है कि तथाकथित वसीयत पूर्ण रूप से फर्जी है। यदि अपीलांट तथाकथित वसीयत को फर्जी मानता है तो तथाकथित वसीयत को अवैध/निरस्त कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में यथोचित कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में, अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 30–3–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/17

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner